कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2221718
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 222689

पत्रांक : कु0स0–सम्बद्धता / 06 / 183 / (सम्ब0.अनु.) / 2012, दिनांकः जनवरी, 2012
18 जनवरी, 2012

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्रीमती फुलेहरा स्मारक महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कमतैला, रसड़ा,
बलिया।

विषय :–**महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक उ0प्र0 शासन उच्च शिक्षा अनुभाग–6 के पत्रांक–**2309 / सत्तर–6–2010–2(306) / 2010, दिनांक 28 जुलाई, 2010** के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अभिनियम, 2007) की धारा 37(2) के अधीन प्राप्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति पर विचारोपरान्त विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 05.11.2011 के विन्दु सं0 13 पर लिये गये निर्णय के अन्तर्गत **श्रीमती फुलेहरा स्मारक महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कमतैला, रसड़ा, बलिया** को स्नातकोत्तर स्तर पर **कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों** में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्धता की अनुमति प्रदान कर दी है:–

1. संस्था / महाविद्यालय के लिए शासन द्वारा निर्गत पत्र में उल्लिखित शर्ते यथावत लागू रहेगी।
2. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(एस0एल0मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. माननीय कुलपति जी – सूचनार्थ ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

(एस0एल0मौर्य)
कुलसचिव